जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023

हाल ही में **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक**, 2023 मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पारित कर दिया गया और **इस विधेयक का उद्देश्य रहन-सहन एवं व्यापार करने में सुगमता** को बढ़ाना है।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023:

- **परिचय:**
  - **इस विधेयक में 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है**, जिसमें पर्यावरण, कृषि, मीडिया, उद्योग, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, कॉपीराइट, मोटर वाहन, सिनेमैटोग्राफी, खाद्य सुरक्षा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।
  - इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य **ऐसे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है जिनसे सार्वजनिक हित अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है** और साथ ही उनके स्थान पर **नागरिक दंड या प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था करना** है।
- **पृष्ठभूमि:**
  - यह विधेयक **22 दिसंबर, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था,** उसके बाद संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था।
- **आवश्यकता:**
  - **न्याय प्रणाली पर अनुचित दबाव को कम करने के** लिये आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने के लिये।
  - गंभीर दंड लगाए बिना **तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक** का समाधान करने के लिये।
  - अपराध की गंभीरता और निर्धारित सज़ा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिये।
  - बाधाओं को दूर करके और **अनुकूल कानूनी माहौल को बढ़ावा देकर व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने के लिये।**
- **विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:**
  - यह विधेयक **कुछ प्रावधानों में कारावास की धाराओं और/अथवा जुर्माने को हटाने तथा कुछ अन्य मामलों में उन्हें दंड में बदलने का प्रावधान** करता है।
  - दंड का निर्धारण संबंधित मंत्रालयों/विभागों के **नियुक्त निर्णायक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।**
  - यह विधेयक कुछ प्रावधानों में अपराधों के शमन का भी व्यवस्था करता है, जिसका अर्थ है कि अपराधी **न्यायालयी मुकदमे के बिना एक निश्चित राशि का भुगतान करके अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं।**
  - इस विधेयक में निर्दिष्ट अधिनियमों में **विभिन्न अपराधों के लिये न्यूनतम राशि में 10% की वृद्धि के साथ प्रत्येक तीन वर्ष में जुर्माने और जुर्माने की आवधिक समीक्षा का प्रावधान है।**
  - **इस विधेयक द्वारा भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898** जो कि वर्तमान स्थिति में अप्रचलित और अप्रासंगिक है, को **सभी संबंधित अपराधों एवं दंडों के साथ निरस्त कर दिया गया है।**
- **लाभ:**
  - प्रशासनिक न्यायनिर्णयन तंत्र शुरू कर **विधेयक न्याय प्रणाली पर दबाव कम करता है,** लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है और अधिक कुशल तथा प्रभावी न्याय वितरण की सुविधा प्रदान करता है।
  - विधेयक यह सुनिश्चित करके **विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देगा** कि नागरिक, व्यवसाय और सरकारी विभाग मामूली, **तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक के लिये कारावास के भय के बिना काम** कर सकेंगे।
- **चिंताएँ:**
  - जन विश्वास विधेयक कारावास के स्थान पर जुर्माना या सज़ा का प्रावधान करता है जो **अपराध से मुक्ति के लिये पर्याप्त नहीं है।**
  - विशेषज्ञों का तर्क है कि विधेयक '**अर्द्ध-अपराधीकरण (Quasi-Decriminalization)**' का प्रतिनिधित्व करता है तथा वास्तविक गैर-अपराधीकरण को संस्थागत बनाने के लिये और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।
  - वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत **निर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति** को लेकर चिंता जताई गई, **ऐसी कानूनी कार्यवाही के लिये उनकी तकनीकी क्षमता पर सवाल उठाया गया।**

वधियक में शामलि प्रमुख कानून:

- [भारतीय वन अधनियिम, 1927]
- [वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नयिंत्रण) अधनियिम, 1981]
- [सूचना प्रौद्योगकिी अधनियिम, 2000]
- [पर्यावरण (संरक्षण) अधनियिम, 1986]
- [कॉपीराइट अधनियिम, 1957]
- [पेटेंट अधनियिम, 1970]
- [रेलवे अधनियिम, 1989]
- [खाद्य सुरक्षा और मानक अधनियिम, 2006]

[स्रोत: पी.आई.बी.]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jan-vishwas-amendment-of-provisions-bill-2023